समाहरणालय, गढ़वा
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)
सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनायें।

क्र० सं०	योजना का नाम	योग्यता	पेंशन दर	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (60 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग)	1. ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों वाले व्यक्ति जो 60 वर्ष से 79 तक की आयु के हैं। 2. आवेदक (ग्रामीण क्षेत्र) की वार्षिक आय 7995/– रू० तथा (शहरी क्षेत्र) की वार्षिक आय 9974/– रू० तक के बी०पी०एल० परिवार का सदस्य होना चाहिए।	600/– रू० मासिक	1. आवेदन पत्र में बायें तरफ अपना फोटो चिपकाकर आवेदन पत्र में वांछित सूचना अंकित करने के उपरांत आधार कार्ड, बैंक पासबुक ,मतदाता फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड की छायाप्रति संलग्न कर आवेदन पत्र संबंधित प्रखण्ड कार्यालय में जमा किया जायेगा। 2. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र पर राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक, अंचल अधिकारी द्वारा आय संबंधी प्रतिवेदन अंकित किया जायेगा। 3. आवेदन पत्र में अंकित बिन्दुओं का सत्यापन पंचायत सेवक तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। तथा अपना प्रतिवेदन एवं अनुशंसा अंकित करते हुए आवेदन पत्र पेंशन स्वीकृति हेतु संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को भेजा जायेगा। 4. अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के जाँचोपरांत स्वीकृत किया जायेगा। स्वीकृत सूची की एक प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं एक प्रति आधार कार्ड एवं बैंक पासुबक की छायाप्रति के साथ जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में भेजेंगे। 5. जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, गढ़वा उक्त सूची के अनुसार स्टेट पोर्टल पर दर्ज करायेंगे तथा पेंशन भुगतान की कार्रवाई करेंगे।

2	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (80 वर्ष या उससे अधिक की आयु वर्ग)	1. ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों वाले व्यक्ति जो 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। 2. आवेदक (ग्रामीण क्षेत्र) की वार्षिक आय 7995/- रू० तक के बी०पी०एल० परिवार का सदस्य होना चाहिए।	700/- रू० मासिक	तदैव।
3	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (40 वर्ष 79 वर्ष)	1. 40 से 79 वर्ष की आयु की सभी विधवा जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। 2. आवेदक (ग्रामीण क्षेत्र) की वार्षिक आय 7995/- रू० तथा (शहरी क्षेत्र) 9974/- रू० से अधिक नहीं चाहिये।	600/- रू० मासिक	तदैव।
4	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन (18 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग)	1. आवेदक की आयु 18 वर्ष से 79 वर्ष होनी चाहिए। 2. विकलांगता का प्रतिशत 80 या इससे अधिक होना चाहिए। 3. आवेदक (ग्रामीण क्षेत्र) की वार्षिक आय 7995/- रू० तथा (शहरी क्षेत्र) की वार्षिक आय 9974/- रू० से अधिक नहीं होनी चाहिए। 4. आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।	600/- रू० मासिक	तदैव।

5	राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (60 वर्ष या उससे अधिक की आयु वर्ग)	उपर्युक्त चारो योजनाओं से अनाच्छादित 60 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के व्यक्तियों, 18 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के 40 प्रतिशत विकलांगता वाले व्यक्तियों, निर्धन, असहाय एवं विमुक्त बंधुआ मजदूरों को, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 10500/– रू० तथा शहरी क्षेत्र में 12500/– रू० से अधिक नहीं है।	600/– रू० मासिक	तदैव।
6	आदिम जनजाति पेंशन योजना	वर्णित योजनान्तर्गत राज्य योजना से आदिम जनजाति परिवार को लाभान्वित की जायेगी। इस योजना के लाभान्वित आदिम जनजाति समूह (असूर, बिरहोर, बिरजीया, हिल–खरिया, कोरवा, माल पहाड़िया, परहिया, सौरिय पहाड़िया एवं सबर) के सदस्य होंगे एवं उन्हें सरकार द्वारा किसी पेंशन योजना से लाभान्वित नहीं किया जा रहा है और न किसी सरकारी एवं निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्रों में नौकरी करते हों, जिसे उन्हें नियमित मासिक आय की प्राप्ति हो रही हो, वैसे परिवार की विवाहित महिला को इस पेंशन योजना का लाभ दिया जायेगा। यदि किसी परिवार में विवाहित महिला न हो तो वैसी परिस्थिति में परिवार के मुखिया के नाम से पेंशन की स्वीकृति की जायेगी। इस योजना में लाभुकों के लिए बी०पी०एल० सूची में नाम एवं वार्षिक आय सीमा में छूट रखी गयी है।	600/– रू० मासिक	तदैव।

7	राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना	इस योजनान्तर्गत राज्य के 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी विधवाऐं जो इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना या किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना से आच्छादित नहीं है, को राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। इस योजना में लाभान्वितों को आच्छादित करने के लिए बी०पी०एल० सूची में नाम तथा वार्षिक आय की सीमा में छूट रहेगी। साथ ही प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में विधवा रहने संबंधी घोषणा पत्र संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।	600/— रू० मासिक	तदैव।
8	HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों के लिए राज्य सुरक्षा पेंशन योजना।	1. इस योजनान्तर्गत राज्य में निवास करने वाले HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति जिन्हें केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा हो। 2. HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति होने संबंधी चिकित्सा प्रमाण—पत्र एवं जिला एड्स नियंत्रण सोसाईटी से ART (Antiretroviral Therapy)/ARD (Antiretroviral Drugs) प्राप्त कर रहे HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों को पेंशन दिये जाने का प्रावधान है।	600/— रू० मासिक	आवेदन पत्र ART Centre द्वारा भरा जायेगा तथा HIV/AIDS पीड़ित होने संबंधी प्रमाण पत्र एवं ART/ARD प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का आवेदन पत्र जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में भेजा जायेगा। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा जाँचोपरांत उक्त आवेदन पत्र को स्वीकृति हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी को भेजेंगे। स्वीकृति उपरान्त सूची पोर्टल पर इंट्री करने हेतु सामाजिक सुरक्षा को उपलब्ध कराया जायेगा। पोर्टल पर इंट्री होने के बाद पेंशन भुगतान प्रारम्भ हो जायेगा। निदेशानुसार इस योजना के लाभुकों का नाम पोर्टल पर नहीं दिखेगा।

9	राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना	इस योजनान्तर्गत राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे परिवार के मुख्य अर्जनकर्त्ता महिला/पुरूष की मृत्यु 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु सीमा में होने की स्थिति में मृतक परिवार के आश्रितों को एक मुश्त 20000/– (बीस हजार) रू० के सहायता अनुदान भुगतान का प्रावधान है।	20000/– रू० एक मुश्त	आवेदन पत्र में पूर्ण विवरण अंकित करते हुए आय प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र, मृत्यु प्रमाण–पत्र, पारिवारिक सूची प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करते हुए आवेदन पत्र संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र में अंकित विवरणी के सत्यापन एवं अनुशंसा पंचायत सेवक द्वारा किया जायेगा। तदोपरान्त प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अनुदान स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र अनुमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा। आवश्यक जाँचोपरांत अनुमण्डल पदाधिकारी अनुदान की स्वीकृति करेंगे एवं आवेदक को खाता के माध्यम से भुगतान हेतु अभिलेख प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में वापस भेजा जायेगा।
10	आम आदमी बीमा योजना	इस योजनान्तर्गत ग्रामीण भूमिहीन (50 डी० तक भूमि धारित करने वाले परिवार के 18 वर्ष से 59 वर्ष के मुखिया का मुफ्त बीमा कराया जाता है। <u>बीमा अवधि समाप्त होने से पूर्व निमित व्यक्ति के</u> 1. सामान्य मृत्यु पर 30000/– (तीस हजार) रू०। 2. दुर्घटना में मृत्यु पर 75000/– (पचहतर हजार) रू०। 3. दुर्घटना मं स्थायी/पूर्ण अपंगता पर 75000/– (पचहतर हजार) रू०। 4. दुर्घटना में एक आँख या एक हाथ या एक पैर अक्षम होने पर 37500/– (सैंतीस हजार पाँच सौ) रू०। <u>शिक्षा वृति</u> 1. निमित सदस्यों के दो बच्चे जो 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ते हों, को 100/– रू० प्रति शिक्षा वृति दी जायेगी।		आम आदमी बीमा योजना के आवेदन पत्र संबंधित अंचल कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा। आवेदन पत्र पर हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा अंकित करने के उपरांत समेकित सूची विहित प्रपत्र (अंग्रेजी) में जिला सामाजिक सुरक्षा जमा किया जायेगा। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा उक्त सूची भा0जी०बी० शाखा जमशेदपुर को भेजा जायेगा। निमित अवधि में निमित व्यक्ति के मृत्यु होने पर दावा भा०जी०बी० शाखा जमशेदपुर में भेजा जायेगा। निमित व्यक्ति के दावा का भुगतान भा०जी०बी० द्वारा किया जायेगा।